

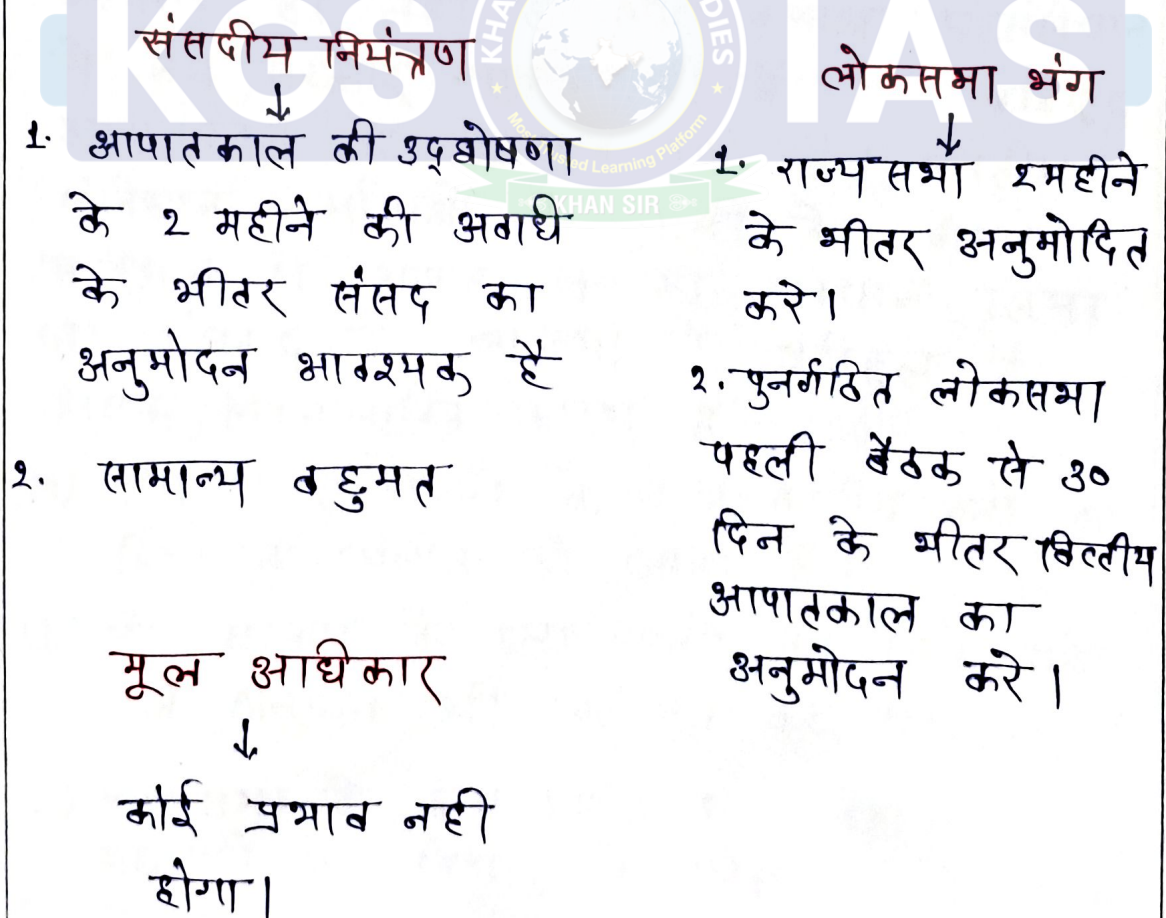
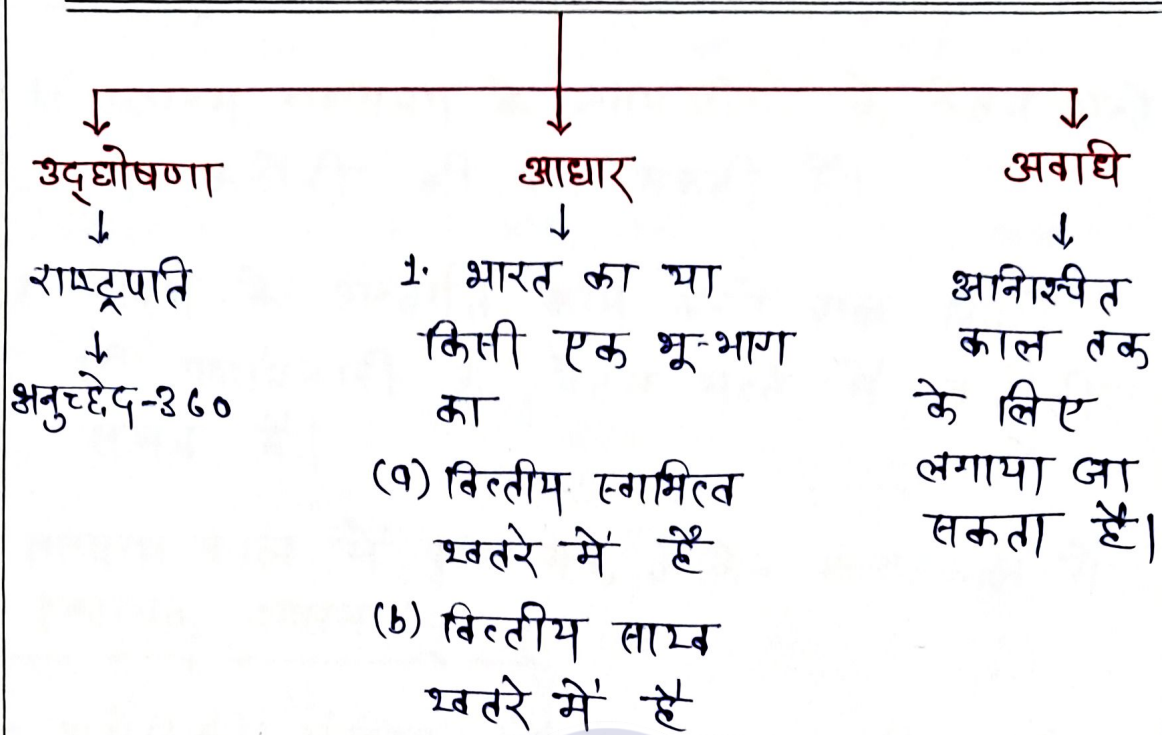
सहकारी और प्रतिस्पर्धात्मक संघीय शासन

1. वर्ष 2015 में भारत में नीति आयोग का निर्माण किया गया जो कार्यपालिका के आदेश से किया गया। नीति आयोग का मूल उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास हेतु दीर्घकालिक योजनाओं का निर्माण करना है। उदारीकरण के बाद भारत में संकेतत्मक नियोजन की शुरुआत हुई जिसमें निजी क्षेत्रों की भूमिका प्राथमिक हो गयी।
2. सरकार के संचालन के लिए मंत्रिपरिषद् को मूल दायित्व दिया गया है जबकि नीति आयोग एक विशेषज्ञ संस्था है जो "थिंक टैंक" के रूप में कार्य करता है।
3. नीति आयोग सहकारी संवाद को बढ़ावा देता है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। जबकि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शासकीय परिषद् में शामिल किया गया है। योजना के निर्माण का मुख्य दायित्व मुख्यमंत्रियों का है जबकि प्रधानमंत्री राज्यों के बीच समन्वय और सामंजस्य स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय परिषद् का भी निर्माण किया गया है जो किसी राज्यों के विशेष आवश्यकताओं के लिए गठित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 'हिमालयी राज्यों' के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए क्षेत्रीय परिषद् का गठन संभव है।

4. नीति आयोग राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा दे रहा है जिसके अनुसार विभिन्न राज्यों के बीच निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही है। आधारभूत संरचना का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी राज्य आपसी प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं और वास्तविक रूप में संघ का निर्माण 28 राज्यों से मिलकर होता है और राज्यों के विकास से ही संघ का विकास सुनिश्चित होता है।



वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency)



पदाधिकारियों के वेतन/भत्ते

1. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है।
2. राज्य के अन्तर्गत कार्य करने वाले किसी भी पदाधिकारी के वेतन भत्ते में कटौती संभव है।

सामान्य काल में संघात्मक लेकिन आपातकाल में एकात्मक शासन :-

- अमेरिकी संविधान में आपातकाल की कोई कल्पना ही नहीं है और कनाडा के संविधान में संघ सरकार शाक्तिशाली है इसके बावजूद आपातकाल के प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने जर्मनी के बीमार संविधान से आपातकाल का प्रावधान लिखा जो संघवाद की व्यवस्था के प्रतिकूल है जिसके निम्नलिखित कारण हैं:-

- (a) संघ और राज्यों के बीच केन्द्रीय करों का विभाजन त्यागित हो जाता है।
- (b) संघ सरकार के द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान भी निलंबित कर दिये जाते हैं।
- (c) राज्यसभा के द्वारा पारित धन विधेयक को भी राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है।

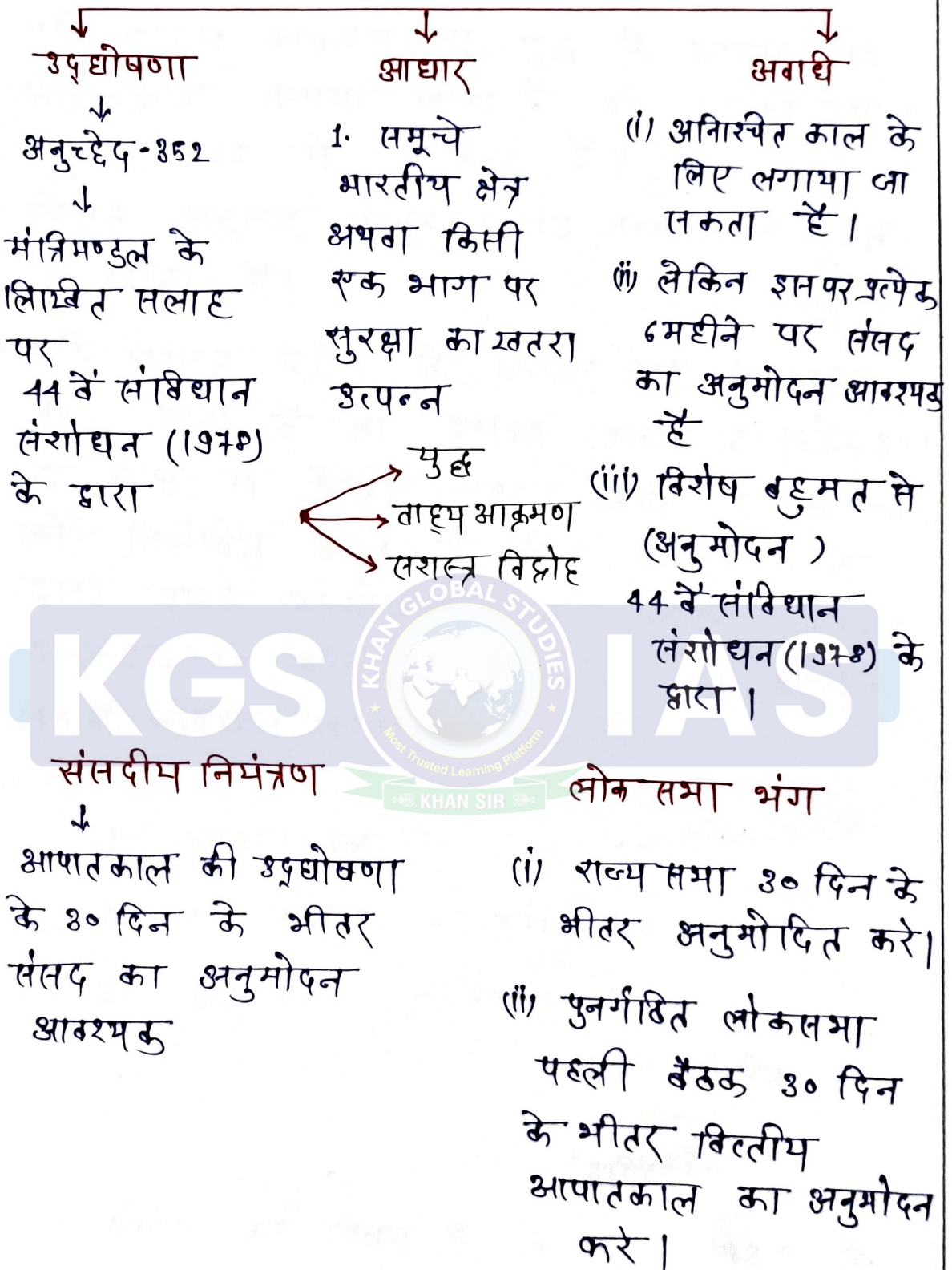
- (d) वित्तीय मामलों में संघ सरकार राज्यों को निर्देश भी दे सकती है।
- (e) वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य में विधान-सभा बनी रहेगी अतः प्रांतिमन्त्रिपरिषद् और मुख्यमंत्री भी रहेगा लेकिन उनकी भूमिका केन्द्र सरकार के अधीन हो जायेगी।

निष्कर्ष :-

—*— आपातकालीन प्रावधान संविधान की विशेषता नहीं है बल्कि एक अपवादिक प्रावधान है। श्रीलंका के समक्ष विद्यमान आर्थिक संकट संविधान निर्माताओं के दूरदर्शिता को दर्शाता है।



[राष्ट्रीय आपातकाल]



मूल अधिकार पर प्रभाव :-

- यदि बाह्य आक्रमण या मुह के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है तो उसका प्रभाव अनुच्छेद 358 में दिखता है।
जिसके अनुसार अनुच्छेद-19 तत्काल निलंबित हो जाता है।
- यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लागू होता है तो इसका प्रभाव अनुच्छेद 359 के रूप में देखा जाएगा जहाँ मूल अधिकारों को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक उद्घोषणा की जाएगी लेकिन अनुच्छेद-20 और 21 निलंबित नहीं होगा।
(44 वें संविधान संशोधन)

1- आपातकाल — 1962 - 68

2- आपातकाल — 1971 - 77

3- आपातकाल — 1975 - 77

कारण - आंतरिक
अशांति
(इंदिरा गांधी)

- यह संयोग का विषय है कि जून 1975 में लगाया गया आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर था इसके लिए 38 वें संविधान संशोधन भी किया गया क्योंकि इसके दौरान

1971 में घोषित आपातकाल पहले से ही चल रहा था जिसके आधार पर अनुच्छेद 19 निलंबित था और इंदिरा गांधी ने इसका आपातकाल लगाकर सभी मूल अधिकार निलंबित कर दिए इसलिए आलोचक इसे तानाशाही का नाम देते हैं।

राष्ट्रीय आपातकाल का संघीय शासन पर प्रभाव :-

- राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधानसभा मंत्रिपरिषद् और मुख्यमंत्री बने रहते हैं। लेकिन शक्तियों का विभाजन समाप्त हो जाता है और राज्यद्वयी समवर्तीद्वयी बन जाती है।
- संघ सरकार के द्वारा राज्य को किसी भी प्रकार के निर्देश दिए जा सकते हैं। तथा राष्ट्रपति किसी राज्य के विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से भारक्षित कर सकता है।

भविष्य में राष्ट्रीय आपातकाल के दुरुपयोग पर प्रतिबंध :-

- 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने की शक्ति लोकसभा को दे दी गयी और लोकसभा इसे सामान्य बहुमत के प्रस्ताव द्वारा समाप्त कर सकती है परन्तु इसके लिए लोकसभा के 110 सदस्यों का प्रस्ताव आवश्यक है।

- राष्ट्रीय आपातकाल का न्यायिक पुनरावलोकन होगा (44वें संविधान संशोधन)
- राष्ट्रीय आपातकाल के दुरुपयोग के पश्चात वर्ष 1977 में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा इसलिए भविष्य में कोई भी राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं करेगा।

